# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

चन्द्रपाल बनाम मोमनराम आदि

प्रकरण का प्रकार 223आरटीएक्ट क्रमांक 43/2007 (2007/00145)

| आदेश दिनांक | आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त | आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक |
|---|---|---|
| 30.05.2022 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने दिनांक 28.03.2022 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था कि अपीलाण्ट चन्द्रपाल दिनांक 13.10.2019 को फौत हो चुके हैं। इनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु न्यायालय में कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिए अपील अपलांट्स बाद गुजरने मियाद स्वतः ही अबैट जो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है जो अवैट हो जाने के कारण खारिज की जावे।<br>अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद इस प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण वर्ष 15 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है और माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट को फौत हुए लगभग ढाई वर्ष हो चुके हैं। अपीलाण्ट के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के संबंध में अपीलाण्ट्स ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अतः अपीलाण्ट के फौत होने के कारण अपील स्वतः ही अबैट हो चुकी है। अपील अबैट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। Leave<br>30/5/22<br>राजस्व अपील प्राधिकारी | |

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:37:26 IST
Reason: SelfAttested